देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

समाहर्त्ता या समुचित सरकार

–:प्रारंभिक अधिसूचना:–

(अधिनियम–30 / 2013 की धारा–11(1) के अधीन)

अधिसूचना संख्या.......1287......./भू अ० दिनांक :.....16/8/2021......

चूँकि झारखण्ड सरकार / समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम–ममरजोरी, थाना–सारठ, थाना सं०–83, अंचल:–सारठ, जिला–देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **ढीवा मोड़ (रांगा सिरसा–ढीवा–कुकराहा–करौं–करमाटांड़ पथ पर) से करौं पथ (कुल लंबाई–9.050 कि०मी०) के चौड़ीकरण एवं मजबुतीकरण / पुर्निनिर्माण परियोजना** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत् नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम–ममरजोरी, थाना–सारठ, थाना सं०–83, अंचल:–सारठ, जिला–देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **0.12 एकड़** मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है –

क. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0) उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5	528	रैयती	गढ़िया	0.02	पंचम नापित वो लक्ष्मण नापित वो विश्वनाथ नापित वो रवि नापित वो प्रदीप नापित वो नागो नापित पे० स्व० मोती नापित वो विजय नापित पे० स्व० आमो नापित वो महादेव ठाकुर वो सहदेव ठाकुर पे० भातु नापित वो सुधीर नापित माता तितनी देवी अंश समान सा०देह।	मौजा अल कुशा, थाना संख्या–82	मौजा बरवा, थाना संख्या –84	अर्जित रकवा का अंश	मौजा बरवा, थाना संख्या–84
2	5	534	रैयती	धानी–3	0.04	तथैव।				
3	11	504	रैयती	बाड़ी–2	0.01	भदरू महतो वो ब्रह्मा महतो वो शीर्षनाथ महतो वो बेंगु महतो पे० स्व० सहदेव महतो वो आदो देव्या पति स्व० बुधु महतो वो भृगु यादव वो शिपन यादव वो सुरेश यादव पे० स्व० बाबुजी महतो वो कमला देवी वो मोती देवी पे० स्व० जगरनाथ महतो वो सीताराम यादव पे० स्व० भोला महतो वो कामदेव यादव वो बद्री यादव पे० स्व० विभिषण महतो वो श्रीप्रसाद यादव वो जागेश्वर यादव पे० स्व० गांगू महतो वो गुड्डू यादव वो अशोक यादव पे० स्व० वकिल यादव वो खेमलाल महतो पे० स्व० सुन्दर महतो वो धनन्जय यादव वो राम प्रवेश यादव वो धीरेन यादव वो युगल किशोर यादव वो नेपालचन्द्र यादव पे० स्व० राधारमण यादव वो सुबल यादव वो योगेन्द्र यादव पे० स्व० अविनाश यादव वो सुरेश यादव वो दशरथ यादव पे० स्व० यदुनाथ यादव वो जानकी यादव वो				

						काशीनाथ यादव पे० स्व० हाकिम महतो वो युद्धिष्ठिर यादव वो अनन्त यादव वो धर्मेन्द्र यादव पे० स्व० हरि यादव वो रामकिसुन यादव माता पविया महतवाईन अंश समान सा० देह ठाकुर महतो बल्द मदी महतो।				
4	11	538	रैयती	बाड़ी–2	0.05	तथैव।				
				कुल रकवा–	**0.12**					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियॉ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी देवघर 28.7.21   अपर समाहर्त्ता, देवघर   11/08/2021

समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 1287 / भू अ०, देवघर, दिनांक 16/8/2021

प्रतिलिपि : संबंधित भू धारियों को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, सारठ को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित साथ ही अखबार में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला समान्य शाखा, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला गजट के आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी देवघर 28.7.21   अपर समाहर्त्ता, देवघर   11/08/2021

समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।